फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थीः—गोपीलाल विपक्षीः— सरकार

किस्म मुकदमाः—वाद पत्रावली संख्याः— 64 / 19 सनः— 2019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	23.01.20 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत हैं। प्रकरण में लम्बे समय से साक्ष्य वादी हेतु लम्बित हैं। पर्याप्त अवसर देने के बावजुद वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। पूर्व में दिनांक 06.02.19 को अन्तिम अवसर दिया गया एवं उसके बाद कॉस्ट पर भी अवसर दिया गया। किन्तु साक्ष्य पेश नहीं की गई। आज भी प्रकरण में पैरवी हेतु वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय समय में न्यायालय द्वारा रूक रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई। किन्तु वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय समय समाप्त होने तक वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। जिससे जाहीर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं। अथवा यह मुकदमा अब नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वादी का वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज किया जाता हैं। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद किता शुमारी दाखिल दफ्तर हो। डा0 मंजु (आइ.ए.एस.) **सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)** **गिर्वा — उदयपुर**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.02.25 14:49:58 IST
Reason: SelfAttested